न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 673–पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–1–2017 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण कमांक 33/अ–6/2015–16.

....

संजय बियाणी पुत्र स्व0श्री गोविन्ददास बियाणी,
निवासी सीहोर तहसील व
जिला सीहोर म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1–पवन बियाणी पुत्र स्व.गोविन्ददास बियाणी
2–सुमंत बियाणी पुत्र स्व.गोविन्ददास बियाणी
निवासीगण छावनी, सीहोर
तहसील व जिला सीहोर

.... अनावेदकगण

....

श्री के.के.द्विवेदी, अभिभाषक–आवेदक
श्री डी0के0पासी, अभिभाषक–अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::
(आज दिनांकः 9/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–01–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 7–1–2017 को आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त करते हुये प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष नामान्तरण आवेदन पत्र के साथत वसीयतनामा प्रस्तुत नहीं किये जाने के बाद भी प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की गई है, जिसमें प्रथमदृष्या ही त्रुटि परिलक्षित होने से तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही अवैधानिक हो जाती है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय ने प्रकरण में साक्ष्य समाप्त हो जाने एवं अंतिम तर्क श्रवण किये जाने के बाद भी प्रकरण में आदेश पारित नहीं करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय में प्रकरण आदेश की स्टेज पर अनावेदकगण द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका उत्तर आवेदक द्वारा प्रस्तुत कर विरोध करने पर तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा वसीयत प्रस्तुत की गई है और वसीयत के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही प्रचलित होकर आवेदक की आपत्ति निरस्त करते हुये प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है

कि तहसील न्यायालय द्वारा पहले ही मूल वसीयत पेश करने के निर्देश दिये गये हैं। तहसील न्यायालय में विधिवत् कार्यवाही चल रही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को साक्ष्य पेश करने का अवसर देकर शीघ्र प्रकरण का अंतिम निराकरण करें।

6/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 674–पीबीआर / 2017 पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर